न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–628 / 2017

1. नोरतन
2. गोपाल – पुत्रान रामलाल, जाति कुमावत, निवासी हिरनौदा, तहसील फुलेरा,
3. सूरजमल जिला जयपुर।

–अपीलार्थीगण / वादीगण–

बनाम

1. कुन्दनलाल
2. सीताराम – पुत्रान छोटूराम, जाति कुमावत निवासी कुमावतों का मोहल्ला, हिरनोदा,
3. मोहनलाल तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0।
4. नाथूलाल पुत्र छोटूराम कुमावत निवासी हिरनोदा, फौत जरिये कायम मुकाम

4/1 रमेश दत्तक पुत्र नाथूलाल

4/2 गैंदी देवी पत्नी स्व. नाथूलाल

समस्त जाति कुमावत, निवासी हिरनोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

5. कन्हैयालाल पुत्र रामप्रताप
6. मदनलाल
7. रामस्वरूप – पुत्रान श्रीनारायण समस्त जाति कुमावत, निवासी कुमावतों का मोहल्ला,
8. रामनारायण – हिरनोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0।
9. फूलचन्द पुत्र मूलचन्द
10. रामविलास पुत्र ईश्वरलाल
11. हनुमानलाल पुत्र ईश्वरलाल
12. तहसीलदार तहसील फुलेरा मु. सांभरलेक
13. उप पंजीयक अधिकारी सांभरलेक

–रेस्पोडेंट्स / प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री निर्मल कुमार जैन अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री तरूण कुमार कुमावत रेस्पोडेन्ट सख्या 1 लगा0 3 व 4/1 की ओर से

3– श्री सुरेन्द्र कुमार रेस्पोडेंटस सख्या 6 लगा0 8 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 28–12–2017

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बखिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 जिसके द्वारा न्यायालय ने वादीगण का दावा खारिज कर दिया, प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

2– प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा बाबत् विभाजन कृषि भूमि खसरा नम्बर 600 रकबा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 601 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम हिरनोदा तहसील फुलेरा के संबंध में विधिवत विभाजन का प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात नियत की गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी कायम किये बिना स्वयं न्यायालय की तरफ से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी मानते हुए दिनांक 30.06.2017 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने तथा परवर्स होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं की मर्जी से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मान लिया जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई भी प्रार्थना पत्र मौजूद नहीं है। ना ही अधिनस्थ न्यायालय को स्वयं ऐसा कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का कानूनी हक है। उक्त वाद में प्रतिवादीगण उपस्थित थे जिन्होनें अपना जवाब दावा भी प्रस्तुत कर रखा था जिस जवाब दावे में मौके पर कुछ हिस्से पर आबादी बसाने का कथन मौजूद था तथा दोनों पक्षों के अभिवचनों के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.08.2016 की आदेशिका में प्रकरण में तनकियात कायम किया जाना आवश्यक माना था फिर बिना किसी अतिरिक्त साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर वादीगण का दावा खारिज कर दिया इस कारण उक्त निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर आबादी बसना बताते हुए दावा खारिज किया है जबकि मौके पर केवल कुछ हिस्से पर ही आबादी है इसके अलावा उक्त भूमि आज भी राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि ही है तथा कृषि भूमि के विभाजन का एकमात्र अधिकार राजस्व न्यायालय को ही होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर मंगाई गई कमिश्नर रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध थी।कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 11.02.2016 में भी स्पष्ट रूप से रिपोर्ट आई थी जिसमें यह भलीभांति स्पष्ट था कि मौके पर केवल कुछ हिस्से पर आबादी है तथा शेष भूमि खाली पडी है तथा साथ ही कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 11.02.2016 के अलावा मौके पर फोटोग्राफस भी उपलब्ध थे जिससे यह भलीभांति स्पष्ट हो रहा था कि मौके पर बहुत सारा हिस्सा खाली पडा है। इन सबके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर अपना उक्त निर्णय पारित किया है। प्रतिवादीगण संख्या में अधिक है तथा झगडालू व बाहुबली होने से मौके पर अपने दर्ज हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा कर निर्माण करना चाहते है। इसके विपरीत वादीगण कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति है ऐसे में विधिवत तकासमें के अभाव में प्रतिवादीगण को मौके पर दादागिरी करने की खुली छूट मिल गई है। जिसका दुरूपयोग कर प्रतिवादीगण वर्तमान में भी अपने हिस्से से अधिक भूमि पर निर्माण करने पर उतारू हो रहे हैं। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त कथन कर अधिनस्थ न्यायलाय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–6–2017 को अपास्त

किया जाकर प्रकरण विधिक तकासमें हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5–अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्व–विवेक से प्रस्तावित कर वाद खारिज कर दिया गया हैं जब कि इस संबंध में जवाब दावे में कोई आपत्ति नहीं ली गई है। वादग्रस्त भूमि संपूर्ण पर आबादी बसी हुई नही हैं तथा किस्म भी परिवर्तन नही हुई है। कमिश्नर रिपोर्ट से भी यह तथ्य स्पष्ट है कि आंशिक भूमि पर आबादी है तथा शेष भूमि पडत हैं। अधिनस्थ न्यायलाय द्वारा विधि विरूद्ध एवं क्षैत्राधिकार विहीन आदेश पारित किया गया हैं जो कि निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट्सद्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 1972 पृष्ठ 266 व आरआरडी 1997 पृष्ठ 45 प्रस्तुत किये गये।

6– अधिवक्ता रेस्पोटेन्टस द्वारा बहस का जवाब देते हुए कथन किया गया कि अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 किसी प्रार्थना–पत्र की आवश्यकता नहीं है न्यायालय द्वारा स्व–विवेक से भी इस आदेश के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती हैं वादग्रस्त भूमि जमाबंदी में बंजड एवं गिरदावरी में आबादी दर्ज की हुई है तथा मोके पर वास्तव में भूमि आबादी में परिवर्तित हो चुकी है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविकता को देखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2008 (3) डीएनजे, 1343 व 2012 (2) आरआरटी 1096 प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उल्लेखित आदेशिका दिनांक 21/6/2017 में अंकित किया गया है कि पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 में कैम्प हिरनोदा में पेश हुई तथा मजमे आम में जानकारी की गई तो मौके पर मकानात बने होने पर न्यायालय द्वारा स्व–विवेक से आदेश 7 नियम 11 प्रस्तावित किया गया तथा पत्रावली बहस हेतु दिनांक 23–06–2017 को नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 30–6–2017 को पत्रावली कैम्प बबेरवालों की ढाणी में पेश हुई तथा उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–6–2017 पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 30–6–2017 में अंकित किया है कि मुताबिक बहस व दस्तावेजी साक्ष्यों से वादग्रस्त भाूमि में बाडे व मकानात बना रखे है जो गैर कृषि उपयोग में आ रही हैं जिसका विभाजन किया जाना संभव नही है इसलिये प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर वाद खारिज किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरियॅा संवत 2020 से 2023, संवत 2043–2046, 2951–54,2055–58 व 2059–62, 2063–66, 2071से 74 के

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 600 व 601 पर कभी भी काश्त नही हुई है। उक्त भूमि की किस्म संवत 2020 से 2023 में गैर मुमकिन बाडा दर्ज है तथा उसके पश्चात बंजड दर्शाई गई है एवम गिरदावरी संवत 2071–74 में संपूर्ण भूमि पर आवास होना दर्शाया गया है इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि मात्र राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है परन्तु मौके पर वह आवासीय भूमि के रूप में परिवर्तित की जा चुकी हैं जिसका खाता विभाजन राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाना संभव नही है। प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पोडेंटस के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2012 (2)आरआरटी 1096 में पारित यह सिद्धान्त कि, पक्षकारों के सिविल अधिकार सिविल न्यायालय द्वारा उचित प्रकार से निर्णित किये जा सकते है, उचित तौर पर लागू होते है। यहॉ तक की अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1997 आरआरडी 45 में भी न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि " राजस्व रिकार्ड में दर्ज आबादी ओर बंजड भूमि के संबंध में विभाजन व निषेधाज्ञा का वाद सिविल कोर्ट में चलने योग्य है क्योंकि वह काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत नहीं आता हैं।" उपर्युक्त विवेचन से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। न्यायालय द्वारा स्व–विवेक से तथा प्रकरण की किसी भी स्टेज पर आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है इसमें कोई अनियमितता नहीं हैं। अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बलनिहित नही होने से वह खारिज योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2017 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 28–12–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर